अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बउनवान

1. शशिकलां उर्फ पिंकी पुत्री मोहनलाल पत्नी सुधीर नायक आयु 35 वर्ष जाति नायक निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी ससुराल ग्राम पारली तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0।
2. रतन कंवर उर्फ रतन बाई पत्नी स्व. मोहनलाल आयु 55 वर्ष जाति नायक निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी किशोरपुरा, कोटा जिला कोटा राज0।

–वादी गण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं. 23/**19** सन **2019** तारीख फैसला **15.07.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 के वर्तमान खाता संख्या नया 169 के खसरा नं. 741 की रकबा 2.38 है0, खसरा नं. 1628 की रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 1629 की रकबा 1.53 है0, कुल किता 3 की कुल रकबा 4.06 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी नम्बर 1 का नाम पिंकी पुत्री मोहन की जगह दुरूस्त करके शशिकला पुत्री मोहनलाल दर्ज किया जावें तथा वादनी क्रम 1 को राजस्व रिकार्ड में नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावें तथा वादनी क्रम 1 का पता धूलेट की जगह ग्राम पारली तहसील मालपुरा जिला टोंक दर्ज किया जावें इसी प्रकार वादनी क्रम 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में रतन बाई बेवा मोहन कि जगह दुरूस्त कर रतन कुंवर पत्नि स्व. मोहनलाल दर्ज किया जावे एवं वादनी क्रम 2 का पता धूलेट की जगह किशोरपुरा कोटा दर्ज किया जावें । तद् अनुसार वादी को उक्त विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुवलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15.07.2020** माह जुलाई 2020 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

की रकबा 2.38 है0, खसरा नं. 1628 की रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 1629 की रकबा 1. 53 है0, कुल किता 3 की कुल रकबा 4.06 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी क्रम 1 का नाम पिंकी पुत्री मोहन की जगह दुरूस्त करके शशिकलां पुत्री मोहनलाल दर्ज किया जावें व वादनी क्रम 1 को नाबालिक से बालिक दर्ज किया जावें तथा वादनी क्रम 1 को साकिन धुलेट की जगह पारली जिला टोंक किया जावें इसी प्रकार वादनी क्रम दो का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर रतन बाई बेवा मोहन कि जगह रतन कुंवर पंत्नि स्व. मोहनलाल दर्ज किया जावें तथा सा. धूलेट की जगह सा. किशोरपुरा कोटा दर्ज किया जावें।

—वादीगण—

2. दादरसी।

दिनांक 04.09.2019 को वादीगण ने जो दावें में 1/10—1/10 की घोषणा की प्रार्थना की है उसे विड्रो कर लिया है इसलिए इस बिन्दु पर तनकी कायम नही की गयी। उक्त तनकियात में तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी के दौरान पी0डब्ल्यू0— 1 शशीकलां उर्फ पिंकी व पी.डब्ल्यू0— 2 रतनकुवर उर्फ रतनबाई के बयान लेखबद्ध करवाये जिसमें वादीगण ने अपने वाद को पूर्णतया तायद किया है तथा साथ ही वादीगण द्वारा जमाबन्दी माल ग्राम धूलेट खाता सं. नई 171 प्रदर्श पी.1 कार्यालय ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 27. 5.2019 प्रदर्श पी.2 कार्यालय ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 27.5. 2019 प्रदर्श पी.3 माध्यमिक परिक्षा 2001 की अंकतालिका प्रदर्श पी.3 व पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति प्रदर्श पी.3A उच्च माध्यमिक परिक्षा कि अंकतालिका प्रदर्श पी.4 व उसकी प्रस्तुत फोटो प्रति प्रदर्श पी.4A, BA अंतिम वर्ष की अंकतालिका प्रदर्श पी.5 तथा उसकी पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति प्रदर्श पी. 5A शशिकलां के पेनकार्ड कि प्रति प्रदर्श पी.6 व पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति प्रदर्श पी.6A विवाह प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.7 व प्रस्तुत फोटो प्रति प्रदर्श पी.7A व शशिकलां का पहचान पत्र प्रदर्श पी.8 व पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति प्रदर्श पी.8A शशिकलां का आधार कार्ड प्रदर्श पी.9 व पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति प्रदर्श पी.9A है शशिकलां का मूल निवासी प्रदर्श पी.10 व पत्रावली में प्रस्तुत उसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी.10A है शशीकलां का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.11 व पत्रावली में प्रस्तुत उसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी.11A वादी नम्बर 2 का राशन कार्ड प्रदर्श पी.14 व पत्रावली में प्रस्तुत उसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी.14A वादी नम्बर 2 का आधार कार्ड प्रदर्श पी.15 व पत्रावली में प्रस्तुत उसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी.15A है वादी नम्बर 2 का बी..पी.एल कार्ड प्रदर्श पी.16 है जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में प्रदर्श पी. 16A है जिन्हे प्रदर्श करवाया गया। सम्पूर्ण पत्रावली, साक्ष्य वादीगण व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब प्रतिवादी का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

यह प्रमाणित होता है कि शशिकलां एवं पिंकी एक ही महिला है जो मोहनलाल कि पुत्री है एवं उसका विवाह सुधीर नायक निवासी पारली जिला टोंक के साथ हुआ है तथा वर्तमान में वादी क्रम 1 अपने ससुराल ग्राम पारली तहसील मालपुरा जिला टोंक में निवास करती है तथा वर्तमान में बालिग है व वादी नम्बर 2 दस्तावेजात के मुताबिक शुद्ध नाम रतन कुंवर पत्नि मोहनलाल व वर्तमान पता किशोरपुरा कोटा का है जिसको शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 के वर्तमान खाता संख्या नया 169 के खसरा नं. 741 की रकबा 2.38 है0, खसरा नं. 1628 की रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 1629 की रकबा 1.53 है0, कुल किता 3 की कुल रकबा 4.06 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी नम्बर 1 का नाम पिंकी पुत्री मोहन की जगह दुरूस्त करके शशिकला पुत्री मोहनलाल दर्ज किया जावें तथा वादनी क्रम 1 को राजस्व रिकार्ड में नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावें तथा वादनी क्रम 1 का पता धूलेट की जगह ग्राम पारली तहसील मालपुरा जिला टोंक दर्ज किया जावें इसी प्रकार वादनी क्रम 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में रतन बाई बेवा मोहन कि जगह दुरूस्त कर रतन कुंवर पत्नि स्व. मोहनलाल दर्ज किया जावे एवं वादनी क्रम 2 का पता धूलेट की जगह किशोरपुरा कोटा दर्ज किया जावें । तद् अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मृत्यु के बाद वादीगण के खाते आई है। स्वर्गीय मोहनलाल जी की मृत्यु के समय वादीनी क्रम 1 की आयु करीब 8 माह रही थी तथा उस समय वादी क्रम 1 को पिंकी कहकर बुलाते थे तथा वादीनी क्रम 1 का घर का बोलता नाम पिंकी था इसलिए उस समय वादीनी क्रम 1 के पिता व वादीनी क्रम 2 के स्वर्गीय पति मोहनलाल की मृत्यु के बाद खुले फोती इन्तकाल में वादीनी क्रम 1 का नाम पिंकी नाबालिग पुत्री मोहनलाल दर्ज करवा दिया है तथा इसी प्रकार वादीनी क्रम 2 का नाम भी उस समय रतन बाई बेवा मोहनलाल दर्ज करवा दिया है जो आज भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। लेकिन वादीनी क्रम 1 का जब स्कूल में नाम शशिकंला पुत्री मोहनलाल लिखवाया गया तथा उसके बाद वादी क्रम 1 के स्कूल रेकार्ड, मार्कशीट, पैन कार्ड, पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजों में शशिकंला पुत्री मोहनलाल दर्ज है तथा वादीनी क्रम 1 का विवाह सुधीर नायक निवासी पारली तहसील मालपुरा जिला टोंक से होने के बाद वादीनी क्रम 1 के आधार कार्ड, पहचान पत्र में शशिकलां पत्नी सुधीर निवासी पारली तहसील मालपुरा जिला टोंक दर्ज हो गया तथा वादीनी की वर्तमान में आयु 35 वर्ष है तथा बालिग है इसी प्रकार वादीनी क्रम 2 के आधार कार्ड, राशन कार्ड, में वादीनी क्रम 2 का नाम रतन कुंवर पत्नी मोहनलाल दर्ज हो रहा है जबकि राजस्व जमाबंदी में रतन बाई पत्नी मोहनलाल दर्ज हो रहा है तथा पता भी किशोरपुरा, कोटा का दर्ज हो रहा है। वादीगण के राजस्व रेकार्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम व पते की भिन्नता आ रही है जिससे वादीगण को कृषि ऋण लेने, बिजली का कनेक्शन लेने, सहकारी लेने, सरकारी लाभ प्राप्त करने, मुआवजा प्राप्त करने सरकारी काटे पर कृषि जिन्स बेचने आदि मे भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में भी पहचान के दस्तावेजात के मुताबिक नाम व पता शुद्ध करवाना चाहती है जिसका वादीगण को कानूनन विधिक अधिकार हासिल है। वादी को उक्त त्रुटि की जानकारी दिनांक 25.05.2019 को विवादित आराजी की राजस्व जमाबंदी निकलवाने व देखनें पर हुयी इस पर वादीगण सम्बधित पटवारी हल्का से नाम व पता दुरूस्ती कर रेकार्ड में दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर उत्पन्न हुआ। वाद दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से दिनांक 27.08.2012 को ज़वाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तनकियात कायम की गई जो निम्न प्रकार है–

1. आया वादीगण को यह अधिकार हासिल है कि वह माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 खाता संख्या नया 171 के खसरा नं. 741

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बइजलास राजेशा डागा आर0ए0एस0

मु.नं. 23/19

1. शशिकलां उर्फ पिंकी पुत्री मोहनलाल पत्नी सुधीर नायक आयु 35 वर्ष जाति नायक निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी ससुराल ग्राम पारली तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0।
2. रतन कंवर उर्फ रतन बाई पत्नी स्व. मोहनलाल आयु 55 वर्ष जाति नायक निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी किशोरपुरा, कोटा जिला कोटा राज0।

–वादी गण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित –

वादी की आरे से– विद्वान अधिवक्ता महेश कुमार मालव एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से– नायब तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

निर्णय

दिनांक– 15.07.2020

वादी ने एक वाद उक्त उनवान का इस आशय का माननीय न्यायालय में पेश किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की खाता संख्या नया 171 के खसरा नं. 741 की रकबा 2.38 है0, खसरा नं. 1628 की रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 1629 की रकबा 1.53 है0, कुल किता 3 की कुल रकबा 4.06 हैक्टर आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्तरूप से 1/5 हिस्सा निहित है जो वादी क्रम 1 के स्वर्गीय पिता व वादी के क्रम 2 के स्वर्गीय पति मोहनलाल से उनकी

– उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत					
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुकमनामा			बाबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दज
करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
राजेश डागा (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास